स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट का सारांश

विद्युत (संशोधन) बिल, 2014

- ऊर्जा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (अध्यक्ष- श्री किरीट सोमैया) ने विद्युत संशोधन बिल 2014 पर अपनी रिपोर्ट 7 मई, 2015 को सौंपी। यह बिल 19 दिसंबर, 2014 को लोकसभा में पेश किया गया था। बिल विद्युत एक्ट, 2003 में संशोधन करता है। कमिटी के मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं:
- वितरण और आपूर्ति को अलग-अलग रखनाः एक्ट के तहत बिजली की आपूर्ति और वितरण नेटवर्क के प्रबंधन के लिए एक वितरण लाइसेंस जारी किया जाता है। बिल के तहत इनके लिए अलग-अलग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। वितरण प्रणाली के लिए वितरण लाइसेंस लेना होगा, जबकि बिजली की आपूर्ति के लिए आपूर्ति लाइसेंस लेना होगा। कमिटी ने सुझाव दिया है कि इस तरह अलग- अलग लाइसेंस जारी करने का स्तर और तरीका क्या हो, इसमें और अधिक स्पष्टता होनी चाहिए। इसके लिए व्यापक और लचीले दिशानिर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि विभिन्न राज्य इन दिशानिर्देशों को अपनी-अपनी स्थितियों के अनुरूप ढाल सकें।
- आपूर्तिः बिल के तहत केंद्रीय या राज्य रेगुलेटर बोर्ड एक ही क्षेत्र के लिए अलग-अलग आपूर्ति लाइसेंस मंजूर कर सकते हैं और उपभोक्ता अपना आपूर्तिकर्ता चुन सकता है। कमिटी ने यह भी कहा कि लाइसेंस मंजूर करना पूरी तरह आयोग की मर्जी पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आयोग के मनमाने अधिकारों को रेगुलेट करने के लिए स्पष्ट मानक तय होने चाहिए। इन मानकों को आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं को उनकी स्थिति, मिलने वाली सब्सिडी तथा तकनीकी और वाणिज्यिक हानि के आधार पर अलग-अलग किया जाना चाहिए।
- आपूर्ति के लिए क्षेत्र का चयन निजी आपूर्ति लाइसेंसधारी पर पूरी तरह नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में आपूर्ति लाइसेंस दिया जा सकता है, उन्हें संबंधित भागीदारों से परामर्श कर अधिसूचित किया जाना चाहिए।
- उपभोक्ता की आवश्यकताएं : कमिटी ने पाया कि इनके बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया हैः (i) आपूर्ति लाइसेंस चुनने के लिए उपभोक्ताओं को उपलब्ध विकल्प, (ii) उपभोक्ता की पसंद से आपूर्ति का हस्तांतरण और (iii) ऐसे चयन और हस्तांतरण की लागत। कमिटी ने इन मुद्दों पर स्पष्टता का सुझाव दिया है।
- अंतिम आश्रय प्रदाता (प्रोवाइडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट-पीओएलआर) : बिल प्रावधान करता है कि पीओएलआर इन स्थितियों में बिजली की आपूर्ति करेगा- यदि उपभोक्ता द्वारा लिया गया आपूर्ति लाइसेंसधारी (i) आपूर्ति लाइसेंसधारी न माना जाए और (ii) या किसी कारण से रद्द हो जाए। कमिटी ने कहा कि सरकारी आपूर्ति लाइसेंसधारी निश्चित रूप से अंतिम आश्रय प्रदाता लाइसेंसधारी हो सकता है। कमिटी ने सुझाव दिया है कि यह अवधारणा और दायित्व सभी आपूर्ति लाइसेंसधारियों पर लागू होने चाहिए। सभी आपूर्ति लाइसेंसधारियों के लिए सार्वभौमिक आपूर्ति करना अनिवार्य है। इससे सभी सप्लाई लाइसेंसधारियों को एक समान अवसर मिलेंगे।
- मध्यस्थ कंपनीः राज्य सरकार मौजूदा बिजली खरीद समझौतों-पीपीए और प्रोक्योरमेंट अरेंजमेंट्स को मौजूदा वितरण कंपनियों से किसी मध्यस्थ कंपनी को हस्तांतरित कर सकती है। यह मध्यस्थ कंपनी बाद में ये पीपीए आपूर्ति लाइसेंसधारियों को आवंटित करेंगी। कमिटी ने पाया कि मध्यस्थ

प्राची मिश्रा
prachee@prsindia.org

10 नवंबर, 2015

कंपनी का सृजन मौजूदा स्थिति का ही दोहराव होगा। इससे उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं होगा बल्कि सौदे की लागत बढ़ जाएगी। पीपीए के आवंटन की इस रूपरेखा से पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए और इसे सभी सहभागियों से परामर्श के बाद तय किया जाना चाहिए।

- सभी के लिए उपलब्धः एक्ट कहता है कि केवल एक मेगावाट या इससे अधिक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ता ही किसी भी स्रोत से बिजली खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे ट्रांसमिशन और वितरण लाइनों तक उपभोक्ताओं की आसान पहुंच बनती है। बिल यह प्रावधान करता है कि एक मेगावाट से कम बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी यह सुविधा मिले। कमिटी ने सुझाव दिया है कि ऐसे उपभोक्ताओं के लिए शुल्क तर्कसंगत होने चाहिए। इस तरह के प्रावधान के चलते सभी सौदों की निगरानी की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह उपभोक्ताओं के लिए एक आकर्षक विकल्प बने।
- अक्षय ऊर्जाः बिल प्रस्ताव करता है कि कोयला और लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख के बाद, अक्षय ऊर्जा उत्सर्जित करने की क्षमता विकसित करनी होगी, जोकि केंद्र द्वारा तय की जाएगी। यह क्षमता उसकी थर्मल पावर क्षमता के 10% हिस्से से कम नहीं होनी चाहिए। कमिटी ने सुझाव दिया है कि कंपनी को 5% अक्षय ऊर्जा जनरेट करनी ही होगी। अक्षय ऊर्जा के उत्पादन की अनिरंतर प्रकृति को देखते हुए ऐसा किया गया है।

यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।